सदस्यः– अट्ठारवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी – गौरव प्रज्ञानन)

Registration No.	MACC- 03/2025
Filing No.	16481/2024
CNR No.	MP2001-053242-2024
Filing Date	24-12-2024
Registration Date	06-01-2025

(1) श्रीमति पिंकी काछी पति स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र लगभग 24 वर्ष
(2) हर्ष काछी पिता स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र लगभग 03 वर्ष
(3) योगेश काछी पिता स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र लगभग 6 माह
क्रं. 2 व 3 नाबालिक द्वारा बली मॉ श्रीमति पिंकी काछी पति स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र 24 वर्ष
(4) श्रीमति सियारानी पति गणेश काछी उम्र लगभग 56 वर्ष
(5) गणेश काछी पिता रगवार काछी उम्र लगभग 65 वर्ष सभी निवासी इन्द्रा नगर सुहागी थाना अधारताल जिला जबलपुर म0प्र0

..............**आवेदकगण**

:: **वि रू द्ध** ::

(1) सचिन कुमार पंथी पिता देवी प्रसाद पंथी निवासी वार्ड नं0 12 तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म.प्र.)
(वाहन चालक पिकअप वाहन कं. एमपी38–जी/0828)

(गौरव प्रज्ञानन)
सदस्य मो.दु.दा.अधि.(अठारवें)
जबलपुर (म.प्र.)

(2) मनीष कुमार पंथी पिता भजन लाल
निवासी वार्ड नं0 12 तहसील बेगम गंज
जिला रायसेन (म.प्र.)
(वाहन मालिक पिकअप वाहन कं. एमपी38–जी/0828)

(3) फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पता फ्स्ट फ्लोर प्लॉट नं. 6 संता समिति
अहिंसा चौक, विजय नगर जबलपुर (म.प्र.)
(वाहन बीमा कंपनी पिकअप वाहन कं. एमपी38–जी/0828)

................**अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा	:–	श्री राजाराम पटेल अधिवक्ता।
अनावेदक क. 1	:–	एकपक्षीय।
अनावेदक कं. 2	:–	अनुपस्थित।
अनावेदक कं. 3 द्वारा	:–	श्री राजेश उपाध्याय अधिवक्ता।

:: अधिनिर्णय ::
(दिनांक 25.06.2025 को पारित)

1. आवेदकगण ने यह क्लेम प्रकरण धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत दुर्घटना **(सुसंगत दिनांक 05.12.2024** को **मृतक नरेश पटेल** की मृत्यु के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि **44,50,000/–** रूपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदकगण से प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.01.2025 को प्रस्तुत किया है।

2. आवेदकगण एवं अनावेदक क.3 की ओर से बीमा कंपनी, जिसके द्वारा वाहन का बीमा किया गया है, ने संयुक्त हस्ताक्षर से समझौता आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किया कि उनके बीच आपसी समझौता हो चुका है तथा आपसी समझौते के आधार पर आवेदकगण एकमुश्त रूपये 14,00,000/– (चौदह लाख रूपये) लेकर प्रकरण में समझौता करना चाहता है।

3. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता आवेदन पत्र पर विचार किया गया। समझौते का सत्यापन संबंधित पक्षकारों से किया गया। पक्षकारों ने यह राजीनामा स्वेच्छया से किया है।

25/6/25
(गौरव प्रधान)
सदस्य मो.दु.दा.अधि. (अतिरिक्त)
जबलपुर (म.प्र.)

4. अतः उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता आवेदन पत्र विधिवत् होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:-

नाम	BANK OF BARODA IFSC CODE BARBOVJJABA	देय राशि	बचत खाते में माध्यम से डिजिटली ट्रांसफर/सावधि
आवेदक क. 01 श्रीमति पिंकी काछी	खाता कं. 78510100015151	**जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 40 प्रतिशत**	**आवेदक श्रीमती उर्मिला को प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदाय किये जावे तथा** शेष 50 प्रतिशत राशि में से 10, 10, 10, 10 एवं 10 प्रतिशत की राशि कुल पॉच सावधि खाते कमशः के एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष एवं पॉच वर्ष के निक्षेप से देय होगी। जो भी ब्याज की राशि होगी वह आवेदिका कमांक 1 को नगद बचत खाते के माध्यम से देय होगी सावधि खाते में जमा राशि उसके नियमित खर्च के लिये त्रिमासिक रूप से जो भी ब्याज होगा नगद आवेदिका कमांक 1 को देय होगा।
आवेदक कं. 2 हर्ष काछी	खाता कं.	**जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 20 प्रतिशत**	आवेदक कमांक 2 हर्ष काछी के अव्यस्क होने से उसे प्राप्त होने वाली राशि व्यस्क होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में निक्षेपित होगी उक्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज का त्रिमासिक भुगतान आवेदिका कमांक 1 को देय होगा।

(गौरव प्रधान)
सदस्य मो.दु.क.अधि.(अटलस)
जबलपुर (म.प्र.)

आवेदक कं. 3 योगेश काछी	खाता कं.	**जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 20 प्रतिशत**	आवेदक कमांक 3 योगेश काछी के अव्यस्क होने से उसे प्राप्त होने वाली राशि व्यस्क होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में निक्षेपित होगी उक्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज का त्रिमासिक भुगतान आवेदिका कमांक 1 को देय होगा।
आवेदक कं. 4 श्रीमति सियारानी काछी	खाता कं. 24538100 025347	**जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 10 प्रतिशत**	आवेदक कमांक 4 श्रीमति सियारानी काछी को प्राप्त होने वाली राशि में से संपूर्ण राशि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदाय किये जावे।
आवेदक कं. 5 गणेश काछी	खाता कं. 78510100 015087	**जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 10 प्रतिशत**	आवेदक कमांक 5 गणेश काछी को प्राप्त होने वाली राशि में से संपूर्ण राशि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदाय किये जावे।

(1) अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में **14,00,000/– (चौदह लाख रूपये) दो माह के भीतर आवेदकगण के बैंक खाता में RTGS/NEFT** के माध्यम से जमा करें एवं जमा करने की सूचना आवेदकगण/उसके अधिवक्ता को प्रदान करें तथा पावती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

(2) दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिकम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

(3) आवेदकगण द्वारा स्वयं का बैंक खाता विवरण इत्यादि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उसे आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा IN RE: COMPEMSATION AMOUNTS DEPOSITED WITH MOTOR ACCIDENT CLAIMS

25/6/25

(गौरव प्रधान)
मो.दु.क्ला. अधि.(अष्टम)
जबलपुर (म.प्र.)

TRIBUNALS AND LABOUR COURT, WP(Civil) 7/2024 आदेश दिनांक–22.04.2025 में पारित दिशा निर्देशों के पालन में अधिकरण के समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधारकार्ड 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे।

5. राजीनामा आवेदन इस अवार्ड का अंश होगा। उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन स्वयं करेंगे।

6. उक्त अधिनिर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क आवेदक व अनावेदक क. 2 को दी जाये तथा साथ–साथ उभयपक्ष के ईमेल पर प्रेषित की जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित् किया गया।

(गौरव प्रज्ञानन)
18वें अति मो0दु0दा0अधि0
जबलपुर (म0प्र0)

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया गया।

(गौरव प्रज्ञानन)
18वें अति मो0दु0दा0अधि0
जबलपुर (म0प्र0)

GAURAV PRAGYANAN

Digitally signed by GAURAV PRAGYANAN
Date: 2025.06.25 17:03:07 +0530